राजस्व वाद संख्या :—219 / 2024
अनवान सरोज अरोड़ा बनाम संगीता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :— राजस्व वाद संख्या 219 / 2024

श्रीमती सरोज अरोड़ा पत्नी श्री प्रेम अरोड़ा जाति अरोड़ा निवासी मकान नम्बर 166 जी ब्लांक, श्रीगंगागनर हांल निवासी 6 ए 21 जवाहनगर, श्रीगंगानगर।

.....वादी

बनाम

1 संगीता पुत्री श्री मुलखराज जाति शर्मा ब्राहम्ण निवासी 25 जी ब्लांक, सिविल लाईन, श्रीगंगानगर

2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

..... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री विनोद कुमार अधिवक्ता — वादीगण
2. पैरोकार राज — प्रतिवादी—2
3. प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व दिनांक 06.03.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 16.05.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वादिया द्वारा संगीता पुत्री श्री मुलखराज शर्मा जाति ब्राहम्ण अरोड़ा निवासी 25 जी ब्लांक, सिविल लाईन श्रीगंगानगर से जरिये बैयनामा चक 7 ए छोटी प्रथम तहसील श्रीगंगानगर से दिनांक 12.09.1997 चक 7 ए छोटी प्रथम तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 11/11 मु.न. 2,19 में 12 बीघा नहरी रकबा था जो वर्तमान जमाबंदी में खाता संख्या 81/67 है तथा जिसमें कुछ काश्तकारों ने अपनी जमाबंदी अलग करवा ली है दिनांक 12.09.1997 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी कृषि भूमि में से मु.न. 2 के किला नम्बर 8 में से बाईपास से 195 फीट जगह छोड़कर श्रीगंगानगर की तरफ 30 फुट किला नम्बर 7 की ओर 100 फुट इस प्रकार 30 इन्टू 100 फुट जगह की मालियत 40,000/— रूपये में खरीद किया बैयनामा की प्रति संलग्न है तथा इसी के साथ इसी दिनांक 12.09.1997 को मु.न. 2 किला नम्बर 4 में से बाईपास से 225 फीट जगह छोडकर श्रीगंगानगर की तरफ 30 फुट जगह व किला नम्बर 7 की ओर 100 फुट जगह इस प्रकार से कुल 30 इन्टू 100 फुट जगह मालियत 40,000/— रूपये में जरिये बैयनामा खरीद की इस प्रकार वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 12.09.1997 को जरिये बैयनामा 30 इन्टू 100 फुट कृषि भूमि एवम् दिनांक 12.09.1997 को जरिये बैयनामा 30 इन्टू 100 फुट कुल कृषि भूमि कुल 60 इन्टू 100 फुट यानि की कुल 0.0557 हैक्टर कृषि भूमि खरीद की गई थी। जिसका कब्जा प्रतिवादीया द्वारा उसी समय दे दिया गया था। परन्तु वादिया एक औरतजात थी तथा उसे कानून का ज्ञान नहीं था इसलिए उसके द्वारा उक्त कृषि भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं करवाया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

गया था बैयनामा की प्रति जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादीया द्वारा जरिये बैयनामा संगीता पुत्री मुलखराज शर्मा से जरिये बैयनामा वादीया द्वारा 2 भूखण्डों के रूप में इस प्रकार वादिया द्वारा दो भूखण्डों के रूप में उक्त कृषि भूमि जरिये बैयनामा खरीद की गई थी जिसका कब्जा उसी दिन बैयनामा की तारीख से ले लिया था तथा वर्तमान में वादिया के कब्जा काश्त में है तथा वही काश्त कर रही है। वादिया का कब्जा बैयनामा के रोज से ही चला आ रहा है तथा मौके पर चार दिवारी की हुई है इसलिए वादिया प्रतिवादी के खिलाफ इस आश्य की आज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है कि प्रतिवादी कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे। वादीया बैयनामा के आधार पर उक्त भूमि की मालिक है परन्तु उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में जब वादी द्वारा रिकार्ड देखा तो पता चला कि चक 7 ए छोटी के मु.न.2 के किला नम्बर 7 व 2 की जो कृषि भूमि जरिये बैयनामा वादिया के पक्ष में है वह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम में चल रही है जबकि बैयनामा दिनांक 12.02.1997 से वादी द्वारा उक्त भूमि खरीद की हुई है तथा वादिया का ही कब्जा चला आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि का इन्द्राज वादिया के पक्ष में नहीं हुआ । इसलिए वादीया राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 7 ए छोटी मु.न. 2 के किला नम्बर 2 व 7 जो जरिये बैयनामा वादीया के पक्ष में खरीद की गई में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमबंद किया जाकर वादिया का नाम दर्ज करवाने का अधिकारी हैं। वादीया द्वारा जब उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड चैक किया तथा पटवारी से मिलकर अपनी कृषि की जमाबंदी दिनांक 10.10.2024 को प्राप्त की तो पता चला कि उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम नहीं है इसी दिनांक से वादी को वाद प्रस्तुत करने का वाद हेतुक प्राप्त है। उक्त वाद पत्र श्रीमान् न्यायलाय के क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार का है जो कि समुचित कोर्ट फीस पर अन्दर मयाद पेश है । अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे :–

क – यह कि वादी द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि चक 7 ए छोटी मु.न. 2 में से बाईपास के पास 225 फुट जगह छोड़कर श्रीगंगानगर की तरफ 30 फुट व किला नम्बर 7 की और 100 फुट इस प्रकार कुल 30 इन्टू 100 फुट जगह व मु.न. 2 के किला नम्बर 8 में से बाईपास के 195 फुट जगह श्रीगंगानगर की तरफ 30 फुट किला नम्बर 7 की और व 100 फुट इस प्रकार से कुल 30 फुट इन्टू 100 फुट इस प्रकार कुल 60 इन्टू 100 फुट 0.0557 हैक्टर लगभग सवा चार विस्वा कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने की अधिकारिणी है।

ख– दिनांक 12.09.1997 को जरिये बैयनामा 30 इन्टू 100 फुट कृषि भूमि, दिनांक 12.09. 1997 को जरिये बैयनामा 30 इन्टू 100 फुट कृषि भूमि, दिनांक 12.09.1997 को कृषि भूमि कुल 60 इन्टू 100 फुट यानि कुल 0.0557 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में खाता अलग करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने की अधिकारणी है।

ग– यह कि वादी को विवादित आराजी पर कब्जा चला आ रहा है इसलिए वादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है कि प्रतिवादी वादीया के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी नही करे ।

ग– अन्य कोई अनुतोष वादीया के हित में जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी जरिए रजिस्टर्ड सम्मन से नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी हेतु सम्मन दो राष्ट्रीय समाचार पत्र में साया करवाये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की तामील जरिए समाचार पत्र के माध्यय से होने के पश्चात् भी प्रतिवादी संख्या 1 के

Scanned with CamScanner

न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 06.03.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वाद में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से वादी द्वार साक्ष्य वादी प्रस्तुत की गई। साक्ष्य वादी में वादीया सरोज अरोड़ा पत्नी श्री प्रेम अरोड़ा निवासी मकान नंबर 166 जी ब्लॉक श्रीगंगानगर हाल निवासी 6 ए 21 जवाहर नगर श्रीगंगानगर का शपथ पत्र पेश हुआ जिस पर मुख्य परीक्षण में वकील वादी द्वारा प्रदर्श–1 दस्तावेज बैयनामा दिनांक 12.02.1997(31.03.1997) एवम् प्रदर्श–2 दस्तावेज बैयनामा दिनांक 12.02.1997(18.02.1997), वादीया का आधार कार्ड प्रदर्श–3, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जमाबंदी संम्वत 2073–2076 चक 7 ए छोटी प्रथम, पटवार हल्का साहुवाला, भू.अ.क्षे. बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/67 पदर्श–4 प्रदर्शित करवाये गये। जिनकी प्रतियां प्रदर्श–1ए से प्रदर्श–4ए हैं।

बहस सुनी गई। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावजी साक्ष्यों जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 चक 7 ए छोटी प्रथम, पटवार हल्का साहुवाला, भू.अ.क्षे. बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/67, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 12.02.1997(31.03.1997) एवम् दस्तावेज बैयनामा दिनांक 12.02.1997(18.02.1997), जमाबंदी संवत 2061–2064 चक 7 ए छोटी प्रथम, पटवार हल्का साहुवाला, भू.अ.क्षे. रामनगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 58/54, जमाबंदी संवत 2057–2060 चक 7 ए छोटी प्रथम, पटवार हल्का साहुवाला, भू.अ.क्षे. रामनगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/46, चक 7 ए छोटी प्रथम, पटवार हल्का साहुवाला, भू.अ.क्षे. श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 47/11 की प्रमाणित प्रति एवम् वादीया के आधार कार्ड की प्रति पेश किये। उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से पाया गया कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से जरिए दो पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.02.1997(31.03.1997) से "चक 7 ए छोटी मु.न. 2 किला नम्बर 4 में से बाईपास से 225 फुट जगह छोड़कर श्रीगंगानगर की तरफ 30 फुट व किला नम्बर 7 की और 100 फुट इस प्रकार कुल 30 इन्टू 100 फुट जगह" एवम् दस्तावेज बैयनामा दिनांक 12.02.1997(18.02.1997) से "चक 7 ए छोटी प्रथम के मु.न. 2 के किला नम्बर 8 में से बाईपास के 195 फुट जगह श्रीगंगानगर की तरफ 30 फुट किला नम्बर 7 की और व 100 फुट इस प्रकार से कुल 30 फुट इन्टू 100 फुट इस प्रकार कुल 60 इन्टू 100 फुट 0.0557 हैक्टर लगभग सवा चार विस्वा कृषि भूमि" को प्रतिवादी संख्या 1 से खरिद की गई है। वादी द्वारा अपनी साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.02.1997(31.03.1997) एवम् दस्तावेज बैयनामा दिनांक 12.02.1997(18.02.1997) में भी सावित करना पाया गया है, इसी आधार पर वादी खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः वादी पंजीकृत बैयानामा दिनांक 12.02.1997(31.03.1997) एवम् दस्तावेज बैयनामा दिनांक 12.02.1997(18.02.1997) के आधार पर खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा खरिदशुदा भूमि जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.02.1997(31.03.1997) चक 7 ए छोटी मु.न. 2 किला नम्बर 4 में से बाईपास से 225 फुट जगह छोड़कर श्रीगंगानगर की तरफ 30 फुट व किला नम्बर 7 की और 100 फुट इस प्रकार कुल 30 इन्टू 100 फुट जगह" एवम् दस्तावेज बैयनामा दिनांक 12.02.1997(18.02.1997) चक 7 ए छोटी प्रथम के मु.न. 2 के किला नम्बर 8 में से बाईपास के 195 फुट जगह श्रीगंगानगर की तरफ 30 फुट किला नम्बर 7 की और व 100 फुट इस प्रकार से कुल 30 फुट इन्टू 100 फुट भूमि मुताबिक जमाबंदी में दर्ज हिस्सा 209/379 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर दस्तावेज बैयनामा दिनांक 12.02.1997(31.03.1997) एवम् दस्तावेज बैयनामा दिनांक 12.02.1997(18.02.1997) के आधार पर वादी सरोज अरोड़ा पत्नी प्रेम अरोड़ा के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्या :—219/2024
अनवान सरोज अरोड़ा बनाम संगीता

र्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत क्रये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार ाजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार हेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग गान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ी रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16.05.2025 को जारी किया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner